स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति/

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (`बैंक'), इसकी सहायक कंपनियों, सहायक और संयुक्त नियंत्रित इकाइयां (सामूहिक रूप से इसके बाद "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

   ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   बी. 4 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक), 1 विदेशी सहायक कंपनी, 1 घरेलू संयुक्त नियंत्रित इकाई और 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

   सी. 1 घरेलू संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

   हमारी राय व सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है:

   ए. यथा 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

   बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

   सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

3. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	**विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान**	
	यथा 31 मार्च, 2024 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 86.88% है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है. बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है. चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है.	हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है. इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं: • आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण); • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली. • हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया. • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की भी समीक्षा की है. • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है. • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		• इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. • परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर भारिबैं के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन (`सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों (`एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया. • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है. • अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन
2	**वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण**	
	वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ़्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं. प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं. बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है. तदनुसार, हमारा लेखा परीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना गया है.	हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है. सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखा परीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्योरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे. विशेषतः • हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं. • हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था. • हमने लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
3	**आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना**	
	बैंक ने 31 मार्च, 2024 को ₹3,71,39,447 (`000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है: • आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन; • एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया. • लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा.
4	**प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे**	
	अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 18 और अनुसूची 18 के नोट सं. 8.2). प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है. प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे. तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है.	हमने लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों. हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं. हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बैंक की निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में परिशिष्ट, यदि कोई हो, शामिल हैं, जो इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

जब हम बैंक के निदेशक की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्टों सहित, यदि कोई हो, पढ़ते हैं, तो यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें यह बात गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं गवर्नेंस द्वारा प्रभारित समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारियां

5. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 29 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत शामिल हैं.

इस ज़िम्मेदारी में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव शामिल हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों को प्रकट करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है.

समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल संबंधित समूह संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए भी जिम्मेवार होंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ हीः

- वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा

प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं. हम अपनी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं.

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेंस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

अन्य मामले

7. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 5 सहायक कंपनियां एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा परीक्षण शामिल नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2024 को कुल संपत्ति ₹ 11,39,63,505 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 2,71,30,983 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध लाभ ₹ 5,52,322 (हज़ार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में

माना गया है. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,81,701 (हज़ार में) के शुद्ध लाभ राशि का समूह हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों में 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2024 को कुल आस्ति ₹ 6,59,313 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 1,33,617 (हज़ार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹ 54,098 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है. ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें आशोधित नहीं है.

8. इस विवरण में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों का बैंक के छह संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से पांच पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 06 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से समेकित वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किए थे.

इस मामले के संबंध में हमारी मत संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

ऊपर दिए गए पैरा 5, 6 और 7 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमा और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बयान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 द्वारा अपेक्षित है, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", भारिबैं द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई हैं, उन बहियों की जांच एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;

बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं

जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा और कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें प्रेषित कर दी है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित कैश नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

ई) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से निरर्हता बैंक पर लागू नहीं होती हैं.

भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरर्हता नहीं ठहराया गया है.

एफ़) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई शर्त, निग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

जी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है.

कृते एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए शरत शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

कृते छाजेड & डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W

सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

कृते जी एस माथुर & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N

सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066

सीए पी. चंद्रशेखर
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C

सीए वी के लाधा
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10.05.2024

समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2024

(रु. 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च,2024	यथा 31 मार्च, 2023
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	7,63,36,056	6,83,47,475
सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूंजी	1 ए	10,40,035	10,40,035
आरक्षित एवं अधिशेष	2	89,86,00,469	71,86,47,629
अल्पांश हित	2 ए	-	-
जमाराशियाँ	3	12,24,59,33,559	11,20,32,19,225
उधार	4	26,97,42,680	42,73,65,947
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	52,83,06,310	46,49,50,783
कुल		**14,01,99,59,109**	**12,88,35,71,094**
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	52,90,15,436	50,25,81,072
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	66,74,43,018	62,34,07,568
निवेश	8	3,43,95,28,617	3,43,72,69,559
अग्रिम	9	8,74,07,97,404	7,64,27,66,793
अचल आस्तियां	10	9,25,98,061	8,84,79,756
अन्य आस्तियां	11	55,05,76,573	58,90,66,347
समेकन पर साख		-	-
कुल		**14,01,99,59,109**	**12,88,35,71,094**
आकस्मिक देयताएं	12	5,83,38,30,501	6,08,09,92,755
संग्रहण के लिए बिल		50,25,28,601	43,56,67,177
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
लेखा से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(अजय बंसल)
उप महाप्रबंधक

(अविनाश प्रभु)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पंकज द्विवेदी)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
सीए शरत शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

कृते छाजेड & डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

कृते जी एस माथुर & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N
सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
सीए पी. चंद्रशेखर
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
कृते विरेंद्र कुमार लाधा
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. 000' में)

	विवरण	अनुसूची क्र.	31 मार्च, 2024 वर्ष समाप्ति तक	31 मार्च, 2023 वर्ष समाप्ति तक
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	1,00,37,55,708	81,16,31,823
	अन्य आय	14	17,81,27,884	15,91,53,525
	कुल		**1,18,18,83,592**	**97,07,85,348**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	63,36,37,017	48,03,28,447
	परिचालन व्यय	16	26,50,58,274	23,48,73,032
	प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		14,60,98,815	17,12,80,436
	कुल		**1,04,47,94,106**	**88,64,81,915**
iii.	**सहायक कंपनियों में अल्पांश से पूर्व समेकित निवल लाभ/(हानि) एवं अर्जन में हिस्सेदारी**		13,70,89,486	8,43,03,433
	जोड़ें :- सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) की हिस्सेदारी		8,81,701	8,13,202
	अल्पांश हित का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि)		13,79,71,187	8,51,16,635
	(घटाएँ):- अल्पांश हित		-	-
	समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)		**13,79,71,187**	**8,51,16,600**
	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण		-	58,32,008
	जोड़े : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		58,32,043	35
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**14,38,03,230**	**9,09,48,643**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित में अंतरण		3,42,85,266	2,10,83,194
	आरक्षित पूंजी में अंतरण		16,32,611	9,45,461
	निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षित में अंतरित		2,84,440	-
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		6,60,81,024	3,48,14,630
	विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(viii)]		66,79,000	60,00,000
	निवेश आरक्षित खाते में अंतरण		15,27,866	17,69,006
	प्रस्तावित लाभांश		2,74,80,980	2,05,04,309
	लाभ हानि खाते में शेष		58,32,043	58,32,043
	कुल		**14,38,03,230**	**9,09,48,643**
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10 प्रत्येक)		**19.15**	**12.45**
	प्रमुख लेखा नीतियां	17		
	लेखा से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(अजय बंसल)
उप महाप्रबंधक

(अविनाश प्रभु)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पंकज द्विवेदी)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
सीए शरत शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

कृते छाजेड & डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

कृते जी एस माथुर & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N
सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
सीए पी. चंद्रशेखर
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
कृते विरेंद्र कुमार लाधा
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
अनुसूची 1 – पूंजी :		
I. **प्राधिकृत:**		
रू.10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,000	10,00,00,000
II. **निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता:**		
i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (विगत वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (विगत वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर)	1,92,69,447	1,12,80,866
कुल	**7,63,36,056**	**6,83,47,475**
अनुसूची 1ए – सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शेयर पूंजी : 17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा निर्गत) को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- के 10,40,03,544 सहभागी अमोचनीय अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर	10,40,035	10,40,035
कुल	**10,40,035**	**10,40,035**

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :				
I. **सांविधिक आरक्षित :**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	16,79,04,849		14,68,21,655	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,42,85,266	20,21,90,115	2,10,83,194	16,79,04,849
II. **आरक्षित पूंजी :**				
ए) आरक्षित पूंजी :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,98,78,700		5,89,33,239	
वर्ष के दौरान वृद्धि	16,32,611		9,45,461	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	6,15,11,311		5,98,78,700	
बी). पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,13,24,225		4,75,70,740	
वर्ष के दौरान वृद्धि	81,343		1,51,92,863	
वर्ष के दौरान कमी	49,61,394		14,39,378	
	5,64,44,174		**6,13,24,225**	
सी) समामेलन आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,30,95,979		1,30,95,979	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,30,95,979	**13,10,51,464**	**1,30,95,979**	**13,42,98,904**

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
III. समेकन पर आरक्षित पूंजी				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,20,151		4,21,351	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-	**1,20,151**	3,01,200	**1,20,151**
IV. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,42,28,058		18,39,26,860	
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,20,11,419		3,01,198	
वर्ष के दौरान कमी	2,91,432	**25,59,48,045**	-	**18,42,28,058**
V. आरक्षित निधि राजस्व :				
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	14,49,84,457		10,74,30,020	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,83,15,558		3,75,80,223	
वर्ष के दौरान कमी	5,488		25,786	
घटाएँ:- अल्पांश हित			-	
	21,32,94,527		**14,49,84,457**	
ii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,62,98,789		6,02,98,789	
वर्ष के दौरान वृद्धि	66,79,000		60,00,000	
	7,29,77,789		**6,62,98,789**	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	59,328		58,485	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,018		843	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	60,346		**59,328**	
iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,35,29,575		1,93,61,583	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,84,440		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		58,32,008	
	1,38,14,015		1,35,29,575	
v) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(4,08,905)		12,73,628	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,93,239		8,11,962	
वर्ष के दौरान कमी	3,00,607		24,94,495	
	(16,273)		**(4,08,905)**	
v) डिबेंचर मोचन आरक्षित				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	31,375		31,375	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
कुल	**31,375**	**30,01,61,779**	**31,375**	**22,44,94,618**
VI) निवेश आरक्षित खाता				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,69,006		17,69,006	
वर्ष के दौरान वृद्धि	15,27,866			
वर्ष के दौरान कमी	-	32,96,872	-	17,69,006

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
VII. लाभ हानि खाते में शेष				
लाभ हानि खाते में शेष		58,32,043		58,32,043
कुल		**89,86,00,469**		**71,86,47,629**
अनुसूची 2 ए अल्पांश हित				
प्रारंभिक शेष		-		-
जोड़े/(घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/(घटाएँ)		-		-
कुल अल्पांश हित		**-**		**-**
अनुसूची 3 –जमाराशियां :				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	74,28,822		1,75,66,930	
ii) अन्य से	73,03,00,019	73,77,28,841	72,24,22,466	73,99,89,396
II. बचत बैंक जमाराशियां		3,36,37,02,530		3,20,10,49,443
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	24,66,77,161		17,64,32,725	
ii) अन्य से	7,89,78,25,027	8,14,45,02,188	7,08,57,47,660	7,26,21,80,385
कुल		**12,24,59,33,559**		**11,20,32,19,225**
भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		11,98,98,18,547		11,05,94,29,728
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		25,61,15,012		14,37,89,497
कुल		**12,24,59,33,559**		**11,20,32,19,225**
अनुसूची 4 – उधार :				
ए) भारत में उधार				
i. भारतीय रिजर्व बैंक	-		13,38,20,000	
ii. अन्य बैंक	1,72,263		75,821	
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	4,84,02,023		2,34,63,987	
iv. बेमीयादी बॉन्ड	9,68,80,000		9,68,80,000	
v. गौण बॉन्ड	7,95,00,000		9,95,00,000	
vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस	-	22,49,54,286	-	35,37,39,808
बी. भारत से बाहर उधार		4,47,88,394		7,36,26,139
कुल		**26,97,42,680**		**42,73,65,947**
उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित जमानती उधार		-		13,90,42,858

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,64,14,133	2,64,97,502
II. उपचित ब्याज	5,24,76,353	6,03,43,341
III. अन्य (प्रावधान सहित)*	44,94,15,824	37,81,09,940
कुल	**52,83,06,310**	**46,49,50,783**
अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व में जमा शेष:		
I. धारित नकदी	2,27,52,570	2,84,16,340
(विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		
II. भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में शेष		
चालू खाते में	50,62,58,578	47,41,54,986
अन्य खाते में	4,288	9,747
कुल	**52,90,15,436**	**50,25,81,072**
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि :		
I. भारत में		
i) बैंकों में जमा शेष		
ए) चालू खातों में	37,61,219	61,55,270
बी) अन्य जमा खातों में	44,34,026	5,85,95,898
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
ए) बैंकों से	-	5,00,000
बी) अन्य संस्थाओं से	34,51,28,862	31,23,03,614
	35,33,24,107	**37,75,54,782**
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	54,09,791	54,81,900
ii) अन्य जमा खातों में	30,64,81,064	23,88,70,885
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	22,28,056	15,00,001
	31,41,18,911	**24,58,52,785**
कुल	**66,74,43,018**	**62,34,07,568**

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
अनुसूची 8 – निवेश:		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,75,55,86,019	2,62,25,87,764
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,51,16,121	91,11,365
iii) शेयरों में	2,82,77,299	2,45,33,686
iv) डिबेंचर एवं बॉन्डस में	57,90,91,160	64,33,93,358
v) एसोसिएट में	43,83,850	35,02,148
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	3,16,62,055	11,10,88,502
कुल	**3,41,41,16,504**	**3,41,42,16,823**
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2,20,01,139	1,86,90,375
ii) शेयरों में	6,810	3,35,490
iii) अन्य निवेश (बांडों में)	34,04,164	40,26,870
iv) एसोसिएट में	-	-
कुल	**2,54,12,113**	**2,30,52,736**
कुल	**3,43,95,28,617**	**3,43,72,69,559**
III. भारत में निवेश		
सकल मूल्य	3,50,13,05,679	3,49,25,11,153
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	8,71,89,175	7,82,94,330
भारत में निवेश का निवल मूल्य	**3,41,41,16,503**	**3,41,42,16,823**
IV. भारत से बाहर निवेश		
सकल मूल्य	2,55,80,990	2,33,14,075
घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	1,68,877	2,61,339
भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य	**2,54,12,113**	**2,30,52,736**
कुल	**3,43,95,28,617**	**3,43,72,69,559**

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
अनुसूची 9 – अग्रिम (निवल)		
I i) खरीदे और भुनाए गए बिल	3,59,44,611	3,29,74,692
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	4,34,16,74,091	3,48,61,71,808
iii) मीयादी ऋण	4,36,31,78,702	4,12,36,20,293
कुल	**8,74,07,97,404**	**7,64,27,66,793**
II.		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*	7,24,72,22,868	6,25,80,98,735
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	5,93,58,913	12,26,93,689
iii) प्रतिभूत-रहित	1,43,42,15,623	1,26,19,74,369
कुल	**8,74,07,97,404**	**7,64,27,66,793**
*बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित		
ए. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3,19,08,13,692	2,85,85,94,969
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,23,56,53,929	81,73,80,496
iii) बैंक	8,66,18,664	6,33,569
iv) अन्य	3,90,55,55,529	3,71,92,11,698
कुल	**8,41,86,41,814**	**7,39,58,20,732**
बी. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्य	6,50,62,605	5,39,13,567
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	4,71,673	4,08,197
बी) सिंडीकेटेड ऋण	-	-
सी) अन्य	25,66,21,312	19,26,24,296
	32,21,55,590	**24,69,46,060**
कुल	**8,74,07,97,404**	**7,64,27,66,793**

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	9,58,92,243		8,09,82,724	
वर्ष के दौरान वृद्धि	15,38,029		2,16,26,582	
वर्ष के दौरान कमी	31,11,913		67,17,063	
	9,43,18,359		9,58,92,243	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	2,96,49,050	6,46,69,308	2,76,06,610	6,82,85,633
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)				
II (ए) भूमि				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	36,34,968		24,98,636	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		12,33,904	
वर्ष के दौरान कमी	1,15,305		97,572	
	35,19,663		36,34,968	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	11,56,731	23,62,932	7,02,457	29,32,511
II (बी) अन्य				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	7,48,07,497		6,90,59,835	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,29,54,854		70,01,866	
वर्ष के दौरान कमी	21,31,040		12,54,203	
	8,56,31,311		7,48,07,497	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	6,27,55,312	2,28,75,999	5,96,87,939	1,51,19,558
II (सी) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	1,21,64,227		1,23,74,205	
वर्ष के दौरान वृद्धि	18,50,275		9,41,715	
वर्ष के दौरान कमी	12,70,638		11,51,692	
	1,27,43,865		1,21,64,227	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,04,12,985	23,30,879	1,02,45,338	19,18,889
II (डी) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	3,14,398		2,68,478	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		45,920	
वर्ष के दौरान कमी	3,11,272		-	
	3,126		3,14,398	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	3,126	0	3,12,863	1,536
कुल (I और II)		**9,22,39,118**		**8,82,58,127**
III. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	2,21,629		3,70,133	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,58,196		3,25,262	
वर्ष के दौरान कमी	2,20,883	3,58,942	4,73,766	2,21,629
कुल (I,II और III)		**9,25,98,061**		**8,84,79,756**

(रु. 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :		
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	1,70,28,198	2,20,20,700
II. उपचित ब्याज	10,87,38,067	9,19,16,723
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल)	7,12,98,680	6,75,66,225
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	61,852	62,780
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1,334	1,334
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3,71,39,447	8,66,27,845
VII. अन्य	31,63,02,660	27,57,45,972
VIII. एमएटी क्रेडिट	6,335	4,51,24,768
कुल	**55,05,76,573**	**58,90,66,347**
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं :		
I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2,06,76,800	3,02,43,174
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	41,101	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	3,72,06,07,588	4,13,37,63,836
IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी		
i) भारत में	69,48,36,138	66,40,64,012
ii) भारत से बाहर	67,54,640	1,42,33,661
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	1,06,71,64,155	99,64,20,847
VI. आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें		
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	28,77,80,965	21,02,78,944
ii) पूंजी प्रतिबद्धता	13,70,051	-
iii) डीईएएफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	3,45,99,063	3,19,88,282
कुल	**5,83,38,30,501**	**6,08,09,92,755**

समेकित लाभ और हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु

(रु. 000' में)

	31 मार्च, 2024 वर्ष समाप्ति हेतु	31 मार्च, 2023 वर्ष समाप्ति हेतु
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर बट्टा	72,15,62,942	56,87,45,745
II. निवेशों से आय	22,82,90,420	21,63,56,463
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	4,89,08,922	2,13,17,912
IV. अन्य	49,93,423	52,11,704
कुल	**1,00,37,55,708**	**81,16,31,823**
अनूसूची 14 – अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,34,13,734	2,18,70,990
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	1,79,15,613	86,24,178
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	33,03,246	25,73,612
IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	21,690	(14,860)
V. विनिमय लेन-देन से लाभ - (निवल)	91,90,006	81,33,570
VI. ए) पट्टा वित्त आय	-	-
बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क	-	-
सी) अतिदेय शुल्क	-	-
डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज	-	-
VII. विविध आय	12,42,83,595	11,79,66,035
कुल	**17,81,27,883**	**15,91,53,525**
अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	58,62,99,268	44,38,31,965
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	2,98,97,025	1,85,04,007
III. अन्य	1,74,40,724	1,79,92,476
कुल	**63,36,37,017**	**48,03,28,447**
अनूसूची 16 – परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	14,59,32,289	12,52,40,040
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	1,10,42,764	1,08,23,277
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	12,70,045	11,55,291
IV. विज्ञापन और प्रचार	14,53,822	13,34,511
V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	89,59,332	74,45,671
बी) पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	70,104	61,641
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,94,964	7,44,948
VIII. विधिक प्रभार	18,57,131	17,37,120
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	39,88,329	32,23,483
X. मरम्मती एवं रखरखाव	35,46,826	37,33,263
XI. बीमा	1,26,35,105	1,37,50,448
XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो	(14,116)	-
XIII. अन्य व्यय	7,36,21,679	6,56,23,339
कुल	**26,50,58,274**	**23,48,73,032**

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

1. प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

2. अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है.

3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है. इसकी जानकारी निम्नानुसार है : -

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	25.00%
9	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) **सहायक कंपनियों का समेकन :** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) **एसोसिएट्स का समेकन:** एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है.

4) **संयुक्त उपक्रम का समेकन:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुक़सानों में अच्छा कर सकता है.

4. राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियां के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

iii) गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है.

iv) विनिमय एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

v) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है.

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है.

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज की गणना की जाती है.

बी) गैर – बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया जाता है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रुप में परिवर्तित किया गया है.

ii) लिंक्ड फंड से आय

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन

प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

आस्ति प्रबंधन

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

5. वसूली का विनियोजन:

ओटीएस/एनसीएलटी के अलावा अन्य वसूलियों को निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

5.1. जब देनदार और लेनदार के बीच इस बात पर कोई समझौता नहीं है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए पैसे को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम इस प्रकार है:

सावधि ऋण हेतु:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए की तिथि पर वसूल न किए गए ब्याज को वापस किए जाने के लिए.
- डमी लेजर में रखा गया (अनुपयोजित ब्याज).
- वसूली की तारीख तक मूलधन/ईएमआई के बकाया के लिए.
- चालू बही शेष के लिए

चल खातों हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- एनपीए के समय लौटाए गए अनुपयोजित ब्याज सहित डमी लेजर (अनुपयोजित ब्याज) में रखे गए ब्याज के लिए.

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित
आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

➢ मूलधन के लिए

5.2. यदि उधारकर्ता उपरोक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तें निर्धारित करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन मंजूरी शर्तों के अनुसार होगा.

5.3. ओटीएस और सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली को संकल्प अथवा परिसमापन किसी भी माध्यम से:

वसूली का विनियोजन यहां निम्नानुसार या मंजूर शर्तों के अनुसार किया जाएगा

➢ मूलधन के लिए

➢ एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज सहित डमी लेजर में रखे गए (अनुपयोजित ब्याज) ब्याज

➢ व्यय एवं लागत आदि के लिए.

5.4 अनर्जक निवेश के मामले में वसूली निम्नानुसार विनियोजित किया जाएगा:

ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.

बी. एनपीए के समय लौटाए गए अप्राप्य ब्याज के लिए.

सी. डमी लेजर में रखे गए (अनुपयोजित ब्याज) ब्याज.

डी. वसूली की तिथि तक मूलधन/ईएमआई में अग्रिम के लिए.

ई. चालू बही शेष के लिए.

6. निवेश

i) वर्गीकरण

बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉण्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश,

एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर. एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 (23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल, 2022 एवं 08 दिसंबर, 2022 को अद्यतित) के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ई) "एएफ़एस" एवं "एचएफ़टी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है.

एफ़) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ)	फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड	एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/ के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ़	म्युचुअल फंड (एमएफ़)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/डीओआर /2021-22/81डीओआर. एमजीआर. 42/21.04. 141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तथा समय-समय पर संशोधनों के अनुसार किया जाएगा.

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के धारित (एचएफ़टी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश पर निवल मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है (निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है). तथापि, परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) सौदे की कीमत के हिसाब से इक्विटी की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकरेज तथा एसटीटी का भुगतान किया जाएगा.

ix) एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके की जाती है.

x) निवेश संविभाग की संगणना के लिए बैंक, भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.

xi) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

xii) म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.

7. डेरीवेटिव संविदा

ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

बी) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).

सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

डी) विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है.

8. अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ए) मानक,

(बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियों.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र आरबीआई/2023-2024/06डीओआर. एसटीआर.आरईसी.03/21.04.048/2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है. आईआरएसी आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.3/21.04.048/2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 तथा उसके बाद के समय-समय पर ज़ारी किसी भी परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाना है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन एसडीएस का आरबीआई से ब्याज दावा, किराया जमा, पूंजी और पूर्वदत्त व्यय, सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ निवेश,फ्रैंकिंग स्टांप, कार्मिकों को त्योहार अग्रिम आदि को छोड़कर100% पर प्रावधान किया जाता है.

9. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानि पर लिया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण " पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा. .

ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	**गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं**	**शून्य**
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	**60**	**1.67**
3	फर्नीचर	**10**	**10.00**
4	फिक्सचर	**10**	**10.00**
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल)	**10**	**10.00**
6	स्प्लिट एवं विंडो एयर वातानुकूलन	**5**	**20.00**
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	**5**	**20.00**
8	सौर ऊर्जा उपकरण	**15**	**6.67**
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	**15**	**6.67**
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	**5**	**20.00**
11	दूरभाष उपकरण	**5**	**20.00**
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	**10**	**10.00**
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईधन सेल संचालित वाहन शामिल है.	**8**	**12.50**
14	मोबाइल फोन	**3**	**33.33**
15	जेनेरेटर	**15**	**6.67**
16	कार्यालय उपकरण / उपकरण	**5**	**20.00**

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क्र. सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि	3	33.33
22	एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉंग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित).	20	5.00
23	स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं (फ़र्निचर/ इलेक्ट्रिकल एवं आदि)	5	20.00

iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.

v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/ एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरुप मूल्यह्रास लगाया गया है.

10. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

11. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है. काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

12. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नही की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

13. कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

(बी)दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. निर्धारित लाभ योजनाः

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ "के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

14. खंड-वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खंड-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

14.1 ट्रेजरी परिचालन,

14.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

14.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(जिसमें से, जहां भी एवं जब भी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट लागू हो)

14.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु समेकित आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

15. लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

16. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल पर डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

17. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक `उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नही की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

19. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

20. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है :

20.1. **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

20.2. **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

20.3. **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

1 बैंक (पैरेंट/मूल) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	यथा 31.03.2023 को पैरेंट द्वारा स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त उपक्रम के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	भारत	25.00%

3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएट का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

बैंक द्वारा यथा 31 मार्च, 2024 को किए गए निवेश का मूल्य ₹1,533.02 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है.

4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2024, तक के हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे दिनांक 31 दिसंबर, 2023 के लिए हैं.

5 यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के दिनांक 31.12.2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं.

6 उचंत खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.

7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है

8.1. ए. पूंजी

बैंक दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 1 अक्तूबर, 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2021 से बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I (एटी I) से बनी है.

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2024 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8% (दोनों 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 8000 करोड़ की इक्विटी पूंजी निर्गमित की है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने बासेल III शिकायत टीयर-II बॉण्ड में रु. 2,000 करोड़ की चुकौती की है.

इन संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i.	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (निवल कटौती, यदि कोई हो)	91,205.93	71,879.53
ii.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	8,928.65	8,985.99
iii.	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	1,00,134.58	80,865.52
iv.	टीयर 2 पूंजी	13,066.90	12,299.90
v.	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	1,13,201.48	93,165.42
vi.	कुल जोखिम-भरित आस्तियां (आरडबल्यूए)	6,68,083.61	5,82,024.83
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	13.65	12.35
viii.	टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	14.99	13.89
ix.	टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	1.96	2.11
x.	जोखिम भारित आस्तियों हेतु पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.94	16.01
xi.	लीवरेज अनुपात	6.58	5.74
xii.	शेयर धारिता का प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार	74.76	83.49
	बी) राज्य सरकार	--	--
	सी) प्रयोजक बैंक	--	--
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	8,000.00	--
xiv.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें:		
	ए) बासेल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	बी) बासेल III अनुपालन शाश्वत कर्ज लिखत		1,983.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि, जिसमें:		
	ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	सी) बासेल III अनुपालन प्रतिदेय अपरिवर्तनीय टियर 2 बॉण्ड	--	2,200.00

8.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप. लाभ एवं हानि में डेबिट	31.03.2024	31.03.2023
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	(355.20)	1,915.53
एनपीए के लिए प्रावधान	6,409.60	12,506.77
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	701.20	(988.37)
आयकर (आईटी) / आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) के लिए निवल प्रावधान	7,799.28	3,716.20
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:	55.00	(22.08)
कुल	**14,609.88**	**17,128.04**

8.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफर / अस्थायी प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	लेखाबंदी शेष	शून्य	शून्य

9. कर्मचारी लाभ (एएस 15 – संशोधित) (मूल बैंक)

i) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

ए) निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमे कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फ़ंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉज़िटॉरि को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 644.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 525.36 करोड़) का अंशदान किया है.

(बी) निश्चित लाभ योजना:

उपादान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं. इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

सी) निश्चित लाभ योजनाएं कर्मचारियों का पेंशन एवं उपादान योजना:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है.

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
i)	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,225.86	29,170.59	3,197.81	28,650.99
	ब्याज लागत	241.62	2,196.55	233.76	2,120.17
	चालू सेवा लागत	176.23	171.59	163	184.38
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(317.32)	(2,426.52)	(334.38)	(2,120.73)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि- परिवर्तन के कारण				
	वित्तीय धारणा में	95.91	(1,890.74)	(63.88)	(278.47)
	जनांकिक धारणा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	179.70	4,334.44	29.55	614.25
	वर्ष के अंत में देयताएं	**3,602.00**	**31,555.91**	**3,225.86**	**29,170.59**

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
ii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य योजना	3,262.35	28,754.24	3,367.60	27,043.50
	आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	244.35	2,165.19	246.17	2,001.22
	अंशदान	238.96	2,223.33	शून्य	1,780.29
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	0.29	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(317.32)	(2,426.52)	(334.38)	(2,120.73)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	29.34	423.97	(17.33)	49.96
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,457.68	31,140.21	3,262.35	28,754.24
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	275.61	2,443.70	(34.33)	335.78
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(29.34)	(423.97)	17.33	(49.96)
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि	**246.27**	**2,019.73**	**(17.00)**	**285.82**
iii)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान:**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
iv)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:**				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	244.35	2,165.19	246.17	2,001.22
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	29.34	423.97	(17.33)	49.96
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**273.69**	**2,589.16**	**228.84**	**2,051.18**
v)	**आय विवरण में चिन्हित व्यय:**				
	वर्तमान सेवा लागत	176.23	171.59	163	184.38
	ब्याज लागत	(2.73)	31.36	(12.41)	118.95
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5)	शून्य	शून्य	शून्य	1,521.62
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	246.27	2,019.73	(17.00)	285.82
	लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय)	**419.77**	**2,222.68**	**133.59**	**2,110.77**

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

(रु. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	(36.49)	416.35	(169.79)	85.87
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	419.77	2,222.68	133.59	2,110.77
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	(0.29)	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(238.96)	(2,223.23)	शून्य	(1,780.29)
	तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि	**144.32**	**415.70**	**(36.49)**	**416.35**
vii)	**अन्य विवरण :**				
	तीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी.				
	उपादान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	बीमांकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है.				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	75,866	19,218	75,618	21,138
	वेतन प्रति माह	584.18	185.19	513.88	180.41
	आगामी वर्ष के लिए अंशदान	371.87	600.03	139.74	587.94
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	27.56	479.80	61.47	565.13
	कॉर्पोरेट बांड/एफ़डीआर	297.23	2,773.66	25.75	720.80
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	-	-
	राज्य सरकार	393.93	3,521.70	82.81	1,379.39
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	190.78	1330.78	64.13	454.17
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,548.18*	23,034.27*	3,028.18	25,634.75
	म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**3,457.68**	**31,140.21**	**3,262.34**	**28,754.24**

*नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेंशन एवं उपादान जो 7.50% माना गया, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एलआईसी में निवेश पर 8.11% रिटर्न एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर 7.50% रिटर्न को माना गया है.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपादान योजना				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**31.03.24**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***
वर्ष के अंत में देयता	3,602.00	3,225.86	3,197.81	3,355.82	1,291.94
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,457.68	3,262.35	3,367.60	2,746.43	1,219.01
अंतर	(144.32)	36.49	169.79	(609.39)	(72.93)
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(144.32)	36.49	169.79	(609.39)	(72.93)

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपादान योजना				
अनुभव समायोजन	**31.03.24**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	179.70	29.55	30.86	752.31	25.87
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	29.34	(17.33)	53.31	34.41	7.20

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजना				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	**31.03.24**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***
वर्ष के अंत में देयताएं	31,555.91	29,170.59	28,650.99	26,011.41	12,746.69
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,140.21	28,754.24	27,043.50	26,720.88	12,607.16
अंतर	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)	709.47	(139.53)
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	1,521.62	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(415.70)	(416.35)	(85.87)	709.47	(139.53)

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.24	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि	4,334.44	614.25	2,452.27	1,456.27	938.90
योजनागत आस्तियों (हानि) /लाभ	423.97	49.96	266.31	81.65	75.23

* यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2023-24		2022-23	
	उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
पिछली छूट दर	7.49	7.53	7.31	7.40
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.49	7.53	7.31	7.40
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	7.21	7.24	7.49	7.53
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.21	7.24	7.49	7.53
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

i) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2024	31.03.2023
1.	अवकाश किराया रियायत	(5.43)	3.66
2.	अवकाश नकदीकरण	350.14	149.30

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए रु. 273.70 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

ii) फॅमिली पेंशन एवं उपादान देयताएं अपरिशोधित:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
पेंशन	शून्य	
ए) पूर्ववर्ती शेष राशि	शून्य	1,521.62
बी) सकल देयताएं	शून्य	शून्य
सी) लाभ एवं हानि पर प्रभार	शून्य	1,521.62
डी) अग्रेषित शेष राशि		शून्य
उपादान	शून्य	
ए) लाभ एवं हानि पर प्रभार	शून्य	शून्य
बी) अग्रेषित	शून्य	शून्य

ए) XI द्विपक्षीय निपटान और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ₹1,902.02 करोड़ हैं. इसके अतिरिक्त आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्तूबर, 2021 के अनुसार बैंकों को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पाँच वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त देनदारी का परिशोधन करने की अनुमति है. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.380.40 करोड़ की राशि प्रभारित है तथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में ₹1521.62 करोड़ की शेष राशि प्रभारित किया गया है.

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी.आरईसी.न.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के संदर्भ में (समय-समय पर अद्यतित), निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं.

ए. अन्य देनदारियों और प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,

बी. अन्य आस्तियों के मामले में, "अन्य" शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है.

अनुसूची	उप प्रमुख के अंतर्गत मद	₹ करोड़ में	कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो
अनुसूची 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित))	-	-	-
अनुसूची 11 अन्य आस्तियां (VI-अन्य)	-	-	-
अनुसूची 14 अन्य आय (VII-अन्य विविध आय)	अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क	1,501.62	1.30
	बट्टे - खाते में वसूली	3,987.40	3.44
अनुसूची 16 परिचालन खर्च (XII-अन्य व्यय)	-	-	-

10.क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1.कारोबार क्षेत्र:

(रु. करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	समेकित	
	समाप्त वर्ष	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	31.03.2024	31.03.2023
क्षेत्रवार राजस्व		
ट्रेजरी परिचालन	31,656.46	26,442.90
रिटेल बैंकिंग परिचालन	39,288.06	31,078.66
(ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन	985.02	566.49
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	38,303.04	30,512.17
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	42,224.34	35,941.71
अन्य बैंकिंग परिचालन	2,601.53	1,979.37
गैर आबंटित	3,392.33	2,198.75
कुल क्षेत्रवार राजस्व	**1,19,162.72**	**97,641.39**
घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व	(974.37)	(562.86)
परिचालन से आय	**1,18,188.35**	**97,078.53**
		-

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

कारोबार क्षेत्र	समेकित	
	समाप्त वर्ष	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	31.03.2024	31.03.2023
क्षेत्रवार परिणाम		-
ट्रेजरी परिचालन	4,240.79	2,426.80
रिटेल बैंकिंग परिचालन	6,409.37	5,059.25
(ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन	686.88	(45.05)
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,722.49	5104.30
कॉर्पोरेट बैंकिंग	8,324.19	3,091.44
अन्य बैंकिंग परिचालन	1,393.91	1,063.52
गैर आबंटित	1,139.96	505.46
कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	**21,508.22**	**12,146.47**
कर हेतु प्रावधान	7,799.28	3716.12
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	**13,708.94**	**8,433.27**
जोड़ाः एसोसिएट में लाभ का शेयर	88.17	81.32
समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	**13,797.11**	**8,511.67**
क्षेत्रवार आस्तियां		-
ट्रेजरी परिचालन	4,72,537.71	4,64,788.70
रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,14,535.30	3,59,680.33
(ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन	7,182.14	1737.64
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,07,353.16	3,57,942.69
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	4,73,324.30	4,26,011.76
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	41,598.60	37,876.32
कुल	**14,01,995.91**	**12,88,357.11**
क्षेत्रवार देयताएं		-
ट्रेजरी परिचालन	4,62,058.16	4,56,704.84
रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,75,409.89	3,28,812.17
(ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन	6,699.23	1,640.02
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,68,710.66	3,27,172.15
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	4,28,285.50	3,88,190.19
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	38,644.70	35,846.40
कुल	**13,04,398.25**	**12,09,553.60**
		-

कारोबार क्षेत्र	समेकित	
	समाप्त वर्ष	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	31.03.2024	31.03.2023
नियोजित पूंजी		-
ट्रेजरी परिचालन	10,479.55	8,083.86
रिटेल बैंकिंग परिचालन	39,125.41	30,868.16
(ए) डिजिटल बैंकिग परिचालन	482.91	97.62
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	38,642.50	30,770.54
कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	45,038.80	37,821.57
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित देयताएं	2,953.90	2,029.92
कुल	**97,597.66**	**78,803.51**

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है. बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार `डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18) (मूल बैंक)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि.

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

बी. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

सी. एसोसिएट

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक
सुश्री ए. मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.40
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.41
श्री रजनीश कर्नाटक #	कार्यपालक निदेशक	0.03
श्री निधु सक्सेना ##	कार्यपालक निदेशक	0.34
श्री रामसुब्रमणियन एस.	कार्यपालक निदेशक	0.37
श्री संजय रुद्र *	कार्यपालक निदेशक	0.16
श्री पंकज द्विवेदी ^	कार्यपालक निदेशक	0.004

28.04.2023 तक

27.03.2024 तक

* 09.10.2023 से

^ 27.03.2024 से

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	6,83,47,47,466
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	79,88,58,141	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	6,83,47,47,466
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या	7,20,31,48,214	6,83,47,47,466
विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	7,20,31,48,214	6,83,47,47,466
निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में	13,797.11	8,511.67
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	19.15	12.45
विघटित अर्जन प्रति शेयर (₹)	19.15	12.45
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (₹)	10	10

13. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	472.83	534.18
2	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	305.11	395.67
3	गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान	5,588.40	11,408.93
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष	(68.54)	(84.48)
5	अन्य प्रावधान	203.85	-0.01
	कुल	**6,501.65**	**12,254.30**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	951.02	1,274.79
2	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	1,836.70	2,316.74
	कुल	**2,787.72**	**3,591.53**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**3,713.93**	**8,662.77**

अनुसूची 18 – लेखों पर नोट्स

14. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात यथा 31 मार्च, 2024 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एएस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है.

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

16. प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और सतत कारोबार अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(अजय बंसल)
उप महाप्रबंधक

(अविनाश प्रभु)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पंकज द्विवेदी)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

हमारे समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
सीए शरत शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

कृते छाजेड & डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

कृते जी एस माथुर & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N
सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
सीए पी. चंद्रशेखर
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
सीए वी के लाधा
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थानः मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	21,50,822	12,14,647
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	89,593	74,457
	निवेशों के लिए प्रावधान	88,070	1,67,478
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	6,40,960	12,50,677
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	71,067	(1,15,806)
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	4,482	14,760
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ)/हानि	(217)	149
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत लिखत	1,64,704	1,58,601
	एसोसिएट में लाभ की हिस्सेदारी	8,817	8,132
	आरक्षित से/में अंतरण	(2,97,383)	(56,928)
	उप योग	**29,20,915**	**27,16,168**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,04,27,144	86,00,976
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	7,63,049	11,45,747
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(1,01,844)	6,61,560
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1,16,21,266)	(1,14,16,687)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(93,029)	(7,74,427)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(3,02,000)	(3,27,752)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**19,92,969**	**6,05,585**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(1,64,880)	(3,06,555)
	अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन की प्राप्तियां	34,320	68,280
	सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी	(8,817)	(17,830)
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(1,39,377)**	**(2,56,105)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमान शेयर पूंजी को जारी करने से प्राप्तियां	-	-
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां	7,97,085	-
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्तियां	-	98,300
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(2,00,000)	(10,000)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(13,76,233)	(8,65,254)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,64,704)	(1,58,601)
	वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,05,042)	(1,29,861)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**(11,48,894)**	**(10,65,416)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	7,04,698	(7,15,936)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,12,59,886	1,19,75,822
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,19,64,584**	**1,12,59,886**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	50,25,811	46,11,589
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	62,34,076	73,64,233
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,12,59,887**	**1,19,75,822**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	52,90,154	50,25,811
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	66,74,430	62,34,076
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,19,64,584**	**1,12,59,887**

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है.

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(अजय बंसल)
उप महाप्रबंधक

(अविनाश प्रभु)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पंकज द्विवेदी)
कार्यपालक निदेशक

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(श्रीनिवासन वरदराजन)
अध्यक्ष

हमारे समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W
सीए शरत शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 132775
यूडीआईएन:24132775BKCYES4785

कृते छाजेड & डोसी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 101794W
सीए नितेश जैन
भागीदार
सदस्य सं. 136169
यूडीआईएन:24136169BKEKKZ4882

कृते जी एस माथुर & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 008744N
सीए राजीव कुमार वाधवन
भागीदार
सदस्य सं. 091007
यूडीआईएन:24091007BKCFCT7661

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 000580S/S200066
सीए पी. चंद्रशेखर
भागीदार
सदस्य सं. 026037
यूडीआईएन:24026037BKARCO1889

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002301C
सीए वी के लाधा
भागीदार
सदस्य सं. 071501
यूडीआईएन:24071501BKFQHF3256

स्थान: मुंबई
दिनांक 10 मई, 2024